जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-14.09.2025

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा "ऑपरेशन सवेरा" अभियान के क्रम में 04 अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 01 किलो 200 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 12,00,000/- रुपये) व तस्करी में प्रयुक्त कार बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान "ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर" चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 14/15.09.2025 की रात्रि में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 04 अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को अवैध 01 किलो 200 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 12,00,000/- रुपये) व तस्करी में प्रयुक्त स्कोडा कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 557/2025 धारा 8/18/60 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण की मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1.गुरनेब पुत्र महल सिंह निवासी दाराभोजी थाना तिकुनिया जनपद लखीमपुर खीरी।

2.अग्रेज सिंह पुत्र अमरीक सिंह निवासी दाराभोजी थाना तिकुनिया जनपद लखीमपुर।

3.गुरप्रीत पुत्र सुबेग सिंह निवासी दाराभोजी थाना तिकुनिया जनपद लखीमपुर।

4.नरवेल सिंह पुत्र बिकार सिंह निवासी खेरटिया थाना तिकुनिया जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01किलो 200 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 12,00,000/- रुपये) ।

2.तस्करी में प्रयुक्त स्कोडा कार रजि0नं0 PB02BW 7017 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 राजेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 संजीव कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.है0का0 अनुज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.का0 नरेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>पुलिस की अपील</u>

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। "नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर" बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से 08 बैटरे व 01 मोटर साइकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 10.09.2025 की रात्रि में वादी नीरज पुत्र रवि कुमार निवासी ग्राम पावटी खुर्द थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा ग्राम जमालपुर में स्थित प्राईमरी स्कूल के पास घेर से जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर की बैटरी अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी थी। वादी उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा टीमे गठित कर अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 15.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण के कब्जे से 08 बैटरे व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-सादिक पुत्र अव्वल हसन निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली।

2-आवेश पुत्र सालिम निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सादिक उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 152/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 219/2021 धारा 147/148/149/324/323/504/325 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 454/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 458/2025 धारा 317(5)/336(2)/3(5) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आवेश उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 458/2025 धारा 317(5)/336(2)/3(5) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये गये 08 बैटरे।

2.चोरी की 01 मोटर साइकिल प्लेटिना रजि0 HR06Q7892।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अशोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 शान्तनु यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा ट्यूबवैल से चोरी के मामले में 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से अभियुक्तगण की निशानदेही पर 01 कल्टीवेटर बरामदः-

ज्ञात हो कि थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री तेजपाल पुत्र बृहमसिंह निवासी मौहल्ला चौधरान कस्बा व थाना गढीपुख्ता की ट्यूबवैल जोकि हसनपुर अम्बेहटा रोड पर स्थित है। दिनांक 09.09.2025 को अज्ञात चोरों द्वारा उपरोक्त ट्यूबवैल से सामान चोरी कर लिया गया था। वादी उपरोक्त द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा ट्यूबवैल से चोरी के मामले में 03 चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की निशानदेही पर ट्यूबवैल पर रखे कल्टीवेटर (कृषि से सम्बन्धी) बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.मोनीश पुत्र रशीद उर्फ बुड्डा निवासी मौहल्ला कुरैशियान थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.नदीम पुत्र अनीश उर्फ तीतरपालू निवासी मौहल्ला रैदासपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3.अकरम पुत्र अकबर निवासी मौहल्ला रैदासपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अभियुक्तगण की निशानदेही पर टयूबवैल से चोरी किया हुआ कल्टीवेटर (कृषि से सम्बन्धी)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.है0का0 ललित कुमार कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3.है0का0 अवनीश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

4.है0का0 विनित कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 14.09.2025 को वादी इसरान पुत्र मरगूब निवासी मौ0 आलकला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा जहानपुरा स्थित खेत के पडौसी साजिद उर्फ भूरा,जैद, आरिस आदि के द्वारा गाली गलौज, मारपीट व जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में वादी इसरान उपरोक्त द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कैराना को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनाँक 15.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.साजिद पुत्र स्व0 शाहदीन निवासी ईदगाह के पास मौ0 खैलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 मोनू दहिया थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी, सट्टा पर्चा व पैन बरामदः-

आज दिनांक 15.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये नगदी 420/- रुपये एवं सट्टा पर्चा व पैन सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शौकीन पुत्र इस्तियाक निवासी मौ0 इकरामपुरा कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नगदी 420/- रुपये।

2.सट्टा पर्चा व पैन।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 विनोद राघव थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 संजीव कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 मोनू थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी, सट्टा पर्चा व पैन बरामदः-

आज दिनांक 15.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये नगदी 530/- रुपये एवं सट्टा पर्चा व पैन सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रोहित पुत्र हरिकिशन निवासी मौ0 शांतिनगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नगदी 530/- रुपये।

2.सट्टा पर्चा व पैन।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राकेश गौतम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.का0 शादाब थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.का0 मोनू थाना कोतवाली शामलीजनपद शामली।

“शक्ति मोबाइल” पुलिस टीम व महिला थाना द्वारा अश्लील फब्तिया कसने के मामले में 03 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 15.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के तहत गठित “शक्ति मोबाइल” पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त करते समय जैन कन्या इण्टर कालेज के पास जैन मौ0 लाल गली पर आने जाने वाली लड़कियो व महिलाओं पर अश्लील फब्तिया कसने के मामले में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा महिला थाना टीम द्वारा 01 अभियुक्त को अश्लील फब्तिया कसने में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में महिला थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.मौहम्मद असद पुत्र इस्लाम अहमद निवासी गौशाला मार्ग बडी माता मन्दिर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.जैद पुत्र राशिद निवासी मौ0 दीन दयाल कालोनी बडी माता मन्दिर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.शिवा पुत्र जयविन्दर निवासी ग्राम गोहरनी थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.-उ0नि0 श्री शिवानी चौधरी जनपद शामली।

2.-म0है0का0 बाला जनपद शामली।

3.-म0है0का0 श्वेता देवी जनपद शामली।

4.-म0है0का0 सुनीता जनपद शामली।

5.-म0है0का0 रेशम तोमर जनपद शामली

6.-म0है0का0 सुनीता महिला थाना जनपद शामली।

7.-म0का0 लक्ष्मी महिला थाना जनपद शामली।

8.-म0का0 सुशीला महिला थाना जनपद शामली।

यातायात पुलिस द्वारा “नो हेलमेट” “नो फ्यूल” का अभियान चलाकार लोगों को जागरूक किया गया -

आज दिनांक 15.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक शामली के नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी यातायात के पर्यवेक्षण में यातायात शामली पुलिस द्वारा प्रतिदिन की भाँति जनपद में यातायात नियमों के अनुपालन हेतु चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया ताकि सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके और आमजन को सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो। साथ ही, "NO HELMET – NO FUEL" अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर चेकिंग की गई, जिसमें बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में जागरूक किया गया और यातायात पुलिस द्वारा बुजुर्ग व दिव्यांगजन को व्यस्त चौराहे एवं सड़क को पार कराते हुए मदद की जा रही है।

यातायात पुलिस द्वारा यह भी अपील की गई कि सभी नागरिक सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का प्रयोग आदि से बचें, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके तथा जनपद में सुरक्षित व सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में जुआ अधिनियम के 04 मामलो मे 07 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा 350/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गयाः-

1. वर्ष 2024 में अभियुक्त देवीदास उर्फ़ नुक्कड़ पुत्र जगपाल निवासी मौ0 शाह विलायत कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली पर मु0अ0सं0 330/2024 13 जी सार्वजनिक जुआ0 अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2. वर्ष 2022 में अभियुक्त सुनील पुत्र जग्गा निवासी ग्राम मसावी थानाभवन जनपद शामली पर मु0अ0सं0 418/22 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडीजेएम कैराना द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में कुल 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

3. वर्ष 2023 में अभियुक्तगण 1- जावेद पुत्र शफी 2-जीशान पुत्र कय्यूम 3-नसीर पुत्र अकीजान 4- असांर पुत्र शमशेर समस्त निवासीगण मौ0 शाह विलायत कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 48/23 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा उपरोक्त में कुल 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

4. वर्ष 2022 में अभियुक्त जुबैर पुत्र असलम निवासी अस्तपाल कालोनी थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन शामली पर मु0अ0सं0 426/22 धारा जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>